# न्यायालय, अंचल अधिकारी, चतरा।

**वाद का प्रकारः– विविधवाद**

वाद सं0ः–02 / 2022–23

पिंटु ठाकुर, पिता–स्व0 चमारी ठाकुर एवं अन्य, सभी साकिन–बुच्चीडाड़ी, चतरा, थाना+जिला–चतरा

..................................प्रथम पक्ष

बनाम

मो0 जसीम, पिता–स्व0 अब्दुल खालिक एवं अन्य, सभी साकिन–दर्जी बिग्हा, चतरा, थाना+जिला–चतरा।

..................................द्वितीय पक्ष

**प्रश्नगत् भूमि का विवरण :–**

मौजा–चतरा, थाना नं0–175, खाता नं0–05, अंतर्गत दररैयती खाता सं0–01 प्लॉट सं0–490, 491, 489, 511 कुल रकवा–1.21 एकड़ ।

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश, पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख– सहित |
|---|---|---|
| 12.12.22 | प्रस्तुत वाद का संधारण भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के पत्रांक–53, दिनांक–23.02.2022 के आलोक में आवेदक पिन्टु ठाकुर, पिता स्व0 चमारी ठाकुर एवं अन्य साकिन–बुच्चिडाड़ी, चतरा के अभ्यावेदन पर किया गया। उभय पक्ष को सुनवाई हेतु मूल कागजात के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना–अपना कारण पृच्छा दाखिल किये एंव अपने कथन के समर्थन में कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया। दिनांक–02.08.2022 को पिन्टु ठाकुर द्वारा द्वितीय पक्ष की ओर से संगीता देवी, पति–मुकश कुमार, साकिन–किशुनपरु एवं अन्य को पक्षकार बनाने हेतु आवेदन दिया गया, उक्त आवेदन पर न्यायालय द्वारा दिनांक–30.08.2022 को द्वितीय पक्ष के रूप में संगीता देवी, पति–मुकेश कुमार, साकिन–किशुनपरु एवं अन्य को पक्षकार बनाने की स्वीकृति दी गई। स्वीकृत पक्षकरों को नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क भी सुना गया।<br>प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समथर्न में लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, केवल विद्वान अधिवक्ता के द्वारा मौखिक बहस किया गया है। **प्रथम पक्ष के द्वारा निम्नलिखित कागताजों की छायप्रति दाखिल किया गयाः–** | |

1. मौजा–चतरा, खाता सं0–01 का सर्वे खतियान
2. लगान रसीद,
3. अभिलेखागार के प्रतिवेदन पत्रांक–49 दिनांक–12.10.2019

द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित जवाब दायर किया गया एवं उल्लेख किया गया है कि मौजा–चतरा, थाना सं0–175, अंतर्गत खाता सं0–05, प्लॉट सं0–258, रकबा–0.17 ए0, प्लॉट सं0–262, रकबा–0.29 ए0, प्लॉट सं0–263, रकबा–0.02 ए0, प्लॉट सं0–264, रकबा–0.07 ए0, प्लॉट सं0–489, रकबा–0.14 ए0, प्लॉट सं0–490, रकबा–0.62 ए0, प्लॉट सं0–491, रकबा–0.13 ए0, प्लॉट सं0–511, रकबा–0.32 ए0, प्लॉट सं0–512, रकबा–0.03 ए0 कुल रकबा–1.79 ए0 भूमि सर्वे खतियान में रैयत कॉलम में अजीज खलीफा, सुलेमान खलिफा एवं अन्य है तथा भू–स्वामी कॉलम में मैनेजर कोर्ट ऑफ वार्डस मीन जानिब बाबू लक्ष्मी नारायण सिंह एवं खेवट नं0–01 दर्ज है। उक्त खाते के प्लॉट सं0–489, रकबा–0.14 ए0, प्लॉट सं0–490, रकबा–0.62 ए0, प्लॉट सं0–491, रकबा–0.13 ए0 एवं प्लॉट सं0–511, रकबा–0.32 ए0, कुल रकबा–1.21 ए0 भूमि पर रामनाथ हजाम अधबटाईदार के हैसियत से खेती करने के कारण दर रैयती खाता सं0–01 रामनाथ हजाम के नाम से बना था। रामनाथ हजाम के मृत्यु के पश्चात छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 23 कें तहत खतियानी रैयत अजीज खलिफा व सुलेमान खलिफा विधि सम्मत तौर पर कायम काबिज दखलकार हुए तथा जमींदारी उन्मुलन के पश्चात मो0 सुलेमान खलिफा के नाम सरकारी जमाबंदी कायम होकर रसीद निर्गत होते चला आ रहा है। वर्तमान में खतियानी रैयत के वंशज के हैसियत से विपक्षी कायम काबिज दखलकार होकर सभी तरह का हक अधिकार का उपयोग करके पक्का मकान बनाकर शांतिपूर्वक निवास करते चले आ रहे है जो अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चतरा के फैसले से उक्त तथ्यों की पुष्टि होती है। आगे उल्लेख किया गया है कि आवेदक के पूर्वज रामनाथ हजाम, जमीनदार अमीम माली के रैयत थे तथा रामनाथ हजाम के मृत्यु के बाद उनके पुत्र दुखन हजाम जमीनदार को लगान देते थे पर उक्त तथ्यों की पुष्टि हेतु जमीनदार का खेवट व जमीनदारी रसिद नहीं दाखिल किए है मात्र दर रैयत अधबटाईदार का खतियान दाखिल किये है तथा मौजा–चतरा के अंदर अमीम माली के नाम से कोई खेवटदार नहीं है और ना ही कोई सरकारी रसीद निर्गत हुआ है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा S.A No. 132/1985 दिनांक–21.12.2021 को पारित आदेशानुसार दर रैयत के वंशज के द्वारा किये गये हस्तक्षेप पर रोक लगाते हुए उनके दावे को खारिज किया है।

Scanned with OKEN Scanner

यह भी उल्लेख किया गया है कि न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चतरा में प्रश्नगत भूमि संबंधित CRPC की धारा–144 अंतर्गत वाद सं0 45/2022 में दिनांक 26.08.2022 को आदेश पारित है कि "द्वितीय पक्षों द्वारा दाखिल कागजातों से यह स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्षों का आवासीय मकान बना हुआ है। इस प्रकार द्वितीय पक्ष का दावा सही प्रतीत होता है।" द्वितीय पक्ष के द्वारा निम्नलिखित कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया है:–

1. अभिलेखागार में दाखिल आवेदन सं0–1517
2. प्रभारी पदाधिकारी, जिला अभिलेखागार का अस्वीकृत खतियान आवेदन
3. होल्डिंग टैक्स रसीद
4. झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड रसीद
5. चतरा नगर परिषद का पानी का बिल
6. पुराना सरकारी लगान रसीद बनाम सुलेमान खलिफा
7. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, चतरा के न्यायालय में दायर कम्पलेन केस सं0–121/2020
8. पिन्टु ठाकुर द्वारा शपथ पत्र बयान
9. माननीय उच्च न्यायालय के S.A No.-132/1985 में परित आदेश
10. क्रमिक खतियान
11. वाद सं0–45/2022 धारा–144 द0प्र0सं0 राजेन्द्र ठाकुर उर्फ राजु ठाकुर वगैरह बनाम मो0 जसीम वगैरह में परित आदेश

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के बहस, समर्पित राजस्व कागजातों एवं अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चतरा के न्यायालय में वाद सं0–45/2022 में धारा 144 द0प्र0सं0 के तहत पारित आदेश एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा S.A No. 132/1985 दिनांक–21.12.2021 को पारित आदेश की प्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि:–

प्रथम पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर क्रमिक खतियान मौजा–चतरा, खाता सं0–05 अतंर्गत दर रैयती खाता सं0–01, प्लॉट सं0–489, 490, 491 एवं 511, कुल रकबा–1.21 ए0 में दर्ज अपने पूर्वज दर–रैयत रामनाथ हजाम पिता–शिबु हजाम एवं लगान पाने वाला अमीम माली के आधार पर दावा किया जा रहा है। उनके द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1987–88 एवं 1988–89 का दो लगान रसीद, जिसमें मौजा–बुचिडाड़ी, रैयत दुखन हजाम वल्द रामनाथा हजाम एवं रकबा–1.21 ए0 भूमि पृष्ठ सं0–66 भोलुम सं0–04 दर्ज है, परंतु बुचिडाड़ी कोई राजस्व ग्राम/मौजा नहीं है एवं ऑनलाईन पंजी–2 में भी दुखन हजाम वल्द रामनाथा हजाम के नाम से जमाबंदी कायम नहीं है तथा माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, चतरा

Scanned with OKEN Scanner

के न्यायालय में प्रथम पक्ष के पिन्टु ठाकुर द्वारा दायर Complaint Case no. 121/2020 में प्रथम पक्ष के शंकर ठाकुर द्वारा दिनांक–01.02.2022 को अपने गवाही में स्वीकार किया गया है कि "जमीन का रसीद हमलोगों को कभी नहीं मिला है" इससे ज्ञात होता है कि प्रथम पक्ष द्वारा समर्पित रसीद संदेहास्पद है। साथ हीं मौजा–चतरा के अंदर रैयत अमीम माली के नाम से कोई खेवटदार नहीं है और ना ही अमीन माली के नाम से जमाबंदी कायम होकर कोई सरकारी रसीद निर्गत हुआ है।

जबकि द्वितीय पक्ष(विपक्षी) के द्वारा सर्वे खतियान में दर्ज मौजा–चतरा, थाना सं0–175, खाता सं0–05, प्लॉट सं0–258, प्लॉट सं0–262, प्लॉट सं0–263, प्लॉट सं0–264, प्लॉट सं0–489, प्लॉट सं0–490, प्लॉट सं0–491, प्लॉट सं0–511, प्लॉट सं0–512 कुल रकबा–1.79 ए0 अपने पूर्वज रैयत अजीज खलिफा, सुलेमान खलिफा एवं अन्य के आधार पर किया जा रहा है। वर्तमान में द्वितीय पक्ष के रैयत सुलेमान खलिफा के नाम से ऑनलाईन पंजी–2 के पृष्ठ सं0–130/7 पर जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष 2022–23 तक निर्गत है।

प्रथम पक्ष के आवेदन पर न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चतरा में प्रश्नगत भूमि संबंधित CRPC की धारा–144 अंतर्गत वाद सं0 45/2022 में दिनांक 26.08.2022 को आदेश पारित है कि "द्वितीय पक्षों द्वारा दाखिल कागजातों से यह स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्षों का आवासीय मकान बना हुआ है। इस प्रकार द्वितीय पक्ष का दावा सही प्रतीत होता है।"

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा S.A No. 132/1985 में दिनांक–21.12.2021 को पारित आदेश में यह उल्लेख है कि "According to law or custom, Dar-raiyati interst is not heritable on the death of the recorded Dar-raiyat" उक्त के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्ष का दावा का आधार नहीं बनता है एवं वर्तमान में प्रश्नगत भूमि से संबंधित Complaint Case no. 121/2020, Pintu Thakur vs Jamila Khatun & others माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, चतरा के न्यायालय में लंबित है, अतएव प्रथम पक्ष को अपने हक एवं दावा के लिए सक्षम न्यायालय जाना उचित होगा।

अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

12/12/22

अंचल अधिकारी,
चतरा।

12/12/22

अंचल अधिकारी,
चतरा।

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.20 20:59:47 -07:00
Location: 192.168.1.41

Scanned with OKEN Scanner